न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

ं0न0 – 33/2025

नवान : –

1. दरियासिंह पुत्र रतीराम जाति कुम्हार निवासी बिराण तहसील भादरा।
2. चन्दूराम पुत्र रतीराम जाति कुम्हार निवासी बिराण तहसील भादरा।

:–प्रार्थीगण

बनाम्

1. भूपसिंह पुत्र रतीराम कुम्हार निवासी बिराण तहसील भादरा।
2. हरदत्त पुत्र मोहनलाल कुम्हार निवासी बिराण तहसील भादरा।
3. मोहित पुत्र हरदत्त कुम्हार निवासी बिराण तहसील भादरा।
4. मोनिका पुत्री हरदत्तसिंह कुम्हार निवासी बिराण तहसील भादरा।

:–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए

आरटीएक्ट सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 ए

उपस्थिति :–श्री कपूरचंद शर्मा प्रार्थी

श्री सुरेन्द्र बैनीवाल अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक: 27.6.2025

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 एएमएस के खाता सं0 49 के मु0 न0 16 के किला न0 5/1, 5/2, मु0 न0 17 के किला न0 1/1, 1/2, मु0 न0 30 के किला न0 4/4, 4/5, 4/6, 7/2, 14/2, 17/2, 24/2 कुल 1.1380है0 खातेदारी कृषि भूमि दरियासिंह के नाम व खाता सं0 32 के मु0 न0 11, 12, 30 की 1.1360है0 चन्दूराम के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हे।

प्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु चालू रास्ता चक 5 एएमएस के खाता सं0 84 के मु0 न0 17 के किला न0 10, 11 के पश्चिमी और उत्तर से दक्षिण प्रत्येक किला में 0.013है0 रास्ता मौजूद है तथा उक्त भूमि अप्रार्थी भूपसिंह की खातेदारी भूमि है व उक्त रास्ता आगे इसी चक के मु0 न0 10 के किला न0 15/1 में दक्षिणी की और 17 फीट लम्बा व सवा आठ फीट चौडा अर्थात 0.013है0 चालू है। जो अप्रार्थी सं0 2 से 4 की खातेदारी है जिससे प्रार्थीगण अपने खेतों में आवागमन करते है तथा प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की उपर वर्णित खातेदारी में चालू रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहते है। उक्त चालू रास्ता प्रार्थीगण के खेतों में आवागमन हेतु सबसे सरल, सुगम व सुविधाजनक रास्ता है। जो सदामत से चालू है।

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को उनकी उपर वर्णित खातेदारी के मु0 न0 17 के किला न0 10, 11, व 16 के किला न0 15/[illegible] को कहा तो वे ऐसा करने से इन्कारी हो गये। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को धमकी दी है कि हमारी [illegible] में से कोई रास्ता स्वीकृत रास्ता नहीं है इसलिए हम इस रास्ता को बंद कर [illegible] यदि अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी में उक्त रास्ता बंद कर देते है तो प्रार्थीगण अपनी खातेदारी में आवागमन नहीं कर पायेंगे तथा प्रार्थीगण की खातेदारी आवागमन के अभाव में काश्त से वंचित रह जायेगें। इसलिए प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि में जाने के लिए सदामत से ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.07 12:17:27 IST
Reason: SelfAttested

Kalpit

चालू उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड स्वीकृत करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। व तहसीलदार राजस्व भादरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी रोही मौजा चक 5 एएमएस के खाता सं0 84 के मु0 न0 17 के किला न0 10 व 11 में पश्चिमी साईड उत्तर से दक्षिण प्रत्येक किला में 0.013है0 रास्ता व रोही मौजा चक 5 एएमएस के खाता सं0 161 के मु0 न0 16 के किला न0 15/1 में दक्षिणी साईड 17 फीट लम्बा व सवा आठ फीट चौडा अर्थात 0.0013है0 रास्ता का उपयोग करता है। परन्तु उक्त किलाजात में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है। इसलिए उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के लिए पक्षकारान ने सहमति प्रकट कर रास्ता का अंकन किया जाना स्वीकार किया है । इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं जवाब का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रस्तावित रास्ता की भूमि के एवज के बदले अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण से कोई लेन देन स्वीकार नहीं किया है इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 की सहमती अनुसार विवादित भूमि में प्रस्तावित रास्ता स्वीकार योग्य होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि रोही मौजा चक 5 एएमएस के खाता सं0 84 के मु0 न0 17 के किला न0 10 व 11 में पश्चिमी साईड उत्तर से दक्षिण प्रत्येक किला में 0.013है0 रास्ता व रोही मौजा चक 5 एएमएस के खाता सं0 161 के मु0 न0 16 के किला न0 15/1 में दक्षिणी साईड 17 फीट लम्बा व सवा आठ फीट चौडा अर्थात 0.0013है0 रास्ता स्वीकृत कर उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करे।

आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Kalpit

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.07 12:17:27 IST
Reason: SelfAttested